रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22062022-236729
CG-DL-E-22062022-236729

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2681] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 21, 2022/ज्येष्ठ 31, 1944
No. 2681] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 21, 2022/JYAISTHA 31, 1944

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2022

का.आ. 2820(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड3, उपखंड (ii) संख्यांक का.आ. 52 (अ), तारीख 17 जनवरी, 2001 में प्रकाशित भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना के,-

(I) पैरा 2 में, उप-पैरा (क) में-

i. खंड (i) में, "इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर, "*राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया जाएगा*" शब्द, रखे जाएंगे;

ii. खंड (iii) में, "और उस पर पर्यावरण और वन मंत्रालय की सहमति प्राप्त की जाएगी" शब्दों का लोप किया जाएगा;

iii. खंड (iv) में, "और पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदन" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(II) पैरा 3 में, उप-पैरा (क) के स्थान पर, निम्नलिखित रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"(क) राज्य सरकार निम्नलिखित संगठन से मिलकर तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए निगरानी समिति का गठन करेगी, अर्थात्:-

क्र.सं.	निगरानी समिति का गठन	पद
1.	प्रमाणित प्रबंधकीय या प्रशासनिक अनुभव और स्थानीय मुद्दों की समझ के साथ एक प्रतिष्ठित व्यक्ति	अध्यक्ष
2.	मुख्य वन संरक्षक, महाबलेश्वर-पंचगनी	सदस्य, पदेन
3.	शहरी विकास विभाग का एक प्रतिनिधि, महाराष्ट्र सरकार	सदस्य, पदेन
4.	राजस्व विभाग का एक प्रतिनिधि, महाराष्ट्र सरकार	सदस्य, पदेन
5.	नगर परिषद या नगर प्रशासन का एक प्रतिनिधि, महाराष्ट्र सरकार	सदस्य, पदेन
6.	महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन
7.	क्षेत्र के वरिष्ठ नगर योजनाकार, पुणे संभाग, महाराष्ट्र सरकार	सदस्य, पदेन
8.	पर्यावरण के क्षेत्र (विरासत संरक्षण सहित) में कार्य करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के दो प्रतिनिधि को नामनिर्दिष्ट किया जाना है	सदस्य
9.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, सतारा, महाराष्ट्र	सदस्य, पदेन
10.	जिला कलेक्टर, सतारा, महाराष्ट्र	सदस्य-सचिव, पदेन;

(कक) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों का स्वीकृति सुनिश्चित करेगी और इसके अतिरिक्त, इसके पास पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित और नियंत्रण करने और यातायात को विनियमित करने की शक्ति होगी, जो कि महायोजना के उपबंधों के अनुरूप होगा।";

(III) पैरा 4 में, "उच्च स्तरीय निगरानी समिति" शब्दों के स्थान पर, "निगरानी समिति" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 2/40/2005-ईएसजेड-आरई]

डॉ. एस. करकेट्टा, वैज्ञानिक "जी"

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपधारा (ii) अधिसूचना संख्यांक का.आ. 52(अ), तारीख 17 जनवरी, 2001 द्वारा प्रकाशित की गई थी;

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 2022

S.O. 2820(E).—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section(2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 52(E), dated the 17th January, 2001, namely:-

In the said notification, -

(I) In paragraph 2, in sub-paragraph (a)-

(i) in clause (i), for the words, "approved by the Ministry of Environment and Forest in the Government of India within a period of two years from the date of publication of this notification", the words "approved by the Competent Authority in the State Government for its effective implementation*"* shall be substituted;

(ii) in clause (iii), for the words, "and concurrence of the Ministry of Environment and Forest shall be obtained on this" shall be omitted;

(iii) in clause (iv), for the words, "and approval by the Ministry of Environment and Forests to" shall be omitted;

(II) In paragraph 3, for sub-paragraph (a) , the following shall be substituted namely : -

"(a) The state Govenment Shall constitute the Monitoring Committee for a tenure of three years consisting of the following composition, namely:-

Sl.No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
1.	An eminent person with proven managerial or administrative experience and understanding of local issues.	Chairperson
2.	The Chief Conservator of the Forest, Mahabaleswar-Panchgani	Member, *ex-officio*
3.	A representative of Urban Development Department, Government of Maharashtra.	Member, *ex-officio*
4.	A representative of Revenue Department, Government of Maharashtra.	Member, *ex-officio*
5.	A representative of the Municipal Council or Municipal Administration, Government of Maharashtra	Member, *ex-officio*
6.	A representative of Maharashtra Pollution Control Board.	Member, *ex-officio*
7.	Senior Town Planner of the Area, Pune Division, Government of Maharashtra	Member, *ex-officio*
8.	Two representatives of Non-governmental Organizations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Maharashtra	Member
9.	Chief Executive Officer, Zila Parishad, Satara, Maharashtra	Member, *ex-officio*
10.	The District Collector, Satara, Maharashtra.	Member Secretary, *ex-officio*.,

(aa) The Monitoring Committee shall ensure compliance of the provisions of this notification and in addition, it shall have the powers to regulate and control noise pollution and regulate traffic within the Eco-SensitiveZone, which shall be in conformity with the provisions of the Master Plan.";

(III) In paragraph 4, for the words "High Level Monitoring Committee", the words "Monitoring Committee" shall be substituted.

[F. No. 2/40/2005-ESZ-RE]

Dr. S. KERKETTA, Scientist 'G"

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 52(E), dated the 17th January, 2001.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.06.22 15:39:06 +05'30'